भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2506
जिसका उत्तर मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाएगा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन

2506. श्री पी०के० कुन्हालीकुट्टी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान प्रावधान भ्रमित विज्ञापनों और उपभोक्ता निवारक तंत्र से निपटने में सक्षम नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार कार्यकारी शक्तियों से युक्त एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नियुक्त करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (ग): पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 को बदलने के लिए दिनांक 9 अगस्त, 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहारों और झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों, जो उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसे "केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण" के नाम से जाना जाएगा।

****